(14)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :–

मणीलाल तिरगर

प्रकरण संख्या– 12/11

निर्णय दिनांकः– 12.12.2018

1 श्री गौतमलाल पिता हिरालाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।

वादी

बनाम

1 श्री खेमराज यादव निवासी बांसिया अध्यक्ष यादव समाज ब्लॉक सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
2 श्री मान भुमिधारी तहसीलदार साहब सीमलवाडा
3 श्री मोहनलाल यादव, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति शोध एवं विकास संस्थान डूंगरपुर।
4 श्री मान संचालक महोदय, जनजाति बालक छात्रावास सीमलवाडा।
5 श्री मान जनजाति क्षैत्रीय परियोजना अधिकारी महोदय डूंगरपुर।

विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकार एक्ट
उपस्थितः– श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की और से
उपस्थित– श्री नरेश जोशी प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से, श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तरफ से

निर्णय **दिनांक 12.12.2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी गांव सीमलवाडा व प्रतिवादी संख्या एक यादव समाज के ब्लॉक अध्यक्ष है। वादी के अपने कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा धम्बोला में खसरा नम्बर 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा होकर वादी का बरसों से लगातार कब्जा काश्त बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक ने वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा धम्बोला खसरा नम्बर 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा भुमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर निर्माण सामग्री डालकर परकोटा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जबकि प्रतिवादीगण की भुमी मौजा सीमलवाडां मे स्थित होने से मौजा धम्बोला में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का कोई अधिकार नहीं है।

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned by CamScanner

102

वादग्रस्त आराजी मौजा धम्बोला की अन्तिम सीमा पर स्थित है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी के कब्जे काश्त की भुमि पर जबरन अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही ह।कि प्रतिवादी को जरीए इस बात के लिए पाबंद किए जावे की वे मौजा धम्बोला की आराजी नम्बर 5771/3636 में निर्माण कार्य व अतिक्रमण न करे व दौराने वाद अतिक्रमण कर लिया जाने पर उसे ध्वस्त कर हटाया जावे व अन्य न्यायोचित दाद जो वादी के पक्ष में हो वाद में दिलवायी जावे। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या दो बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही आशय में लायी गई। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि यादव समाज का ब्लॉक अध्यक्ष नहीं हूं अकारण ब्लॉक अध्यक्ष बताया जा रहा है। वादी अधिवक्ता ने ऑडर 1 रूल 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया कि मोहनलाल यादव को बतौर प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई प्रतिवादी संख्या तीन ने जवाब पेश कर निवेदन किया डॉ भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति शोध एवं विकास संस्थान डूंगरपुर को तहसील मुख्यालय सीमलवाडा पर अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम सीमलवाडा की आराजी संख्या 484/1 रकबा 3.05 बीघा में से पौने बीघा भुमि संस्थान के नाम आवंटन किया गया था और उसी भुमि में संस्थान द्वारा छात्रावास निर्माण किया गया तथा परकोटा निर्माण का कार्य भी संस्थान के नाम आवंटित भुमि पर ही किया जा रहा है। वादी संस्थान की भुमि को उसके खाते की भुमि बता रहा है जो गलत है वर्ष 1994 में पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके पर नाप कर संस्थान को कब्जा सुपुर्द किया था संस्थान की भुमि पर वर्ष 1994 से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उंचे चौकोर खम्भे निर्मित कर कब्जा कर रखा है जो प्रतिवादी का कब्जा निरन्तर बना हुआ है जो प्रतिवादी द्वारा अपनी कब्जेशुदा भुमि पर निर्माण किया जा रहा है ऐसे में वादी का वाद खारिज किया जाए।

वादी के वाद व जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 5771/3636 वाके धम्बोला तहसील सीमलवाडा में निर्माण कार्य का अतिक्रमण न करने, बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

2 आया वादी प्रतिवादीगण द्वारा दावा के दौरान किए गए अतिकमण को हटवाने का अधिकारी है।

3 आया संस्था भीमराव अम्बेडकर अनुसुचित जाति एवं विकास परिषद डूंगरपुर को ग्राम सीमलवाडा की आराजी खसरा नम्बर 484/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 0.15 बीघा भुमि औधोगिक क्षैत्र को कम करते हुए सडक से 50 फिट छोडकर आवंटन हुए है जो श्री मान जिला कलक्टर के आदेश कमांक राजस्व 94/889–92 दिनांक 05.05.1994 द्वारा हुए है इसलिए वादी का दावा खारिज योग्य है।

कमशः पेज 3 पर

Scanned by CamScanner

4 आया वादी व प्रतिवादीगण की जमीन अलग अलग है प्रतिवादीगण का छात्रावास व वादी का वाद से लेना देना नहीं है इस बिनाय पर दावा वादी का खारिज योग्य है।

5 अनुतोष

दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3 की और से प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिर्पोट मंगवाने का निवेदन किया जिसकी प्रति वकील वादी ने भी प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की जिस पर तहसीलदर सीमलवाडा को कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिर्पोट तलब की गई। जिस पर दिनांक 30.01.2014 को तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा मौका रिर्पोट पेश की गई जिसे पक्षकार संतुष्ट नहीं होने से वादी द्वारा पुनः मौका रिर्पोट तलब करने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी ने भी सहमति दी जिसे पुनः मौका रिर्पोट सीमलवाडा तहसीदार से तलब की गई। दिनांक 18.06.2015 को मौका रिर्पोट प्राप्त हुई जिसे संलग्न पत्रावली की गई। उसके पश्चात दिनांक 6.8.2015 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑडर 1 रूल 10 जाब्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑडर 6 रूल 17 पेश कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा मुख्य सडक से अनुसुचित जनजाति बालक छात्रावास में आने जाने हेतु वादी की वादग्रस्त भुमि में सीसी सडक निर्माण कर लिया है ऐसे में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को पक्षकार बनाए जाने व संशोधित अनवान पेश करने की स्वीकृति दिये जाने स्वीकृति चाही। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की नकल वकील प्रतिवादी संख्या तीन को दिलाई गई जिन्होने जवाब नहीं देकर सीधी बहस की प्रार्थना पत्र निर्णित कर स्वीकार किए गए। तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को पक्षकार बनाए जाकर वकील वादी को संशोधित टाईटल पेश करने का आदेश दिया जिस पर वकील वादी ने संशोधित टाईटल पेश किया व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को तलब किए गए है।

प्रंतिवादी संख्या 4 व 5 न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता के जरीए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम धम्बोला की खसरा नम्बर 3636 में जनजाति छात्रावास के नाम आवंटित भुमि पर विभाग द्वारा भवन निर्माण कर सीसी सडक बनाई है मुख्य सडक से छात्रावास में जाने वाली सीसी सडक जानकारी के अभाव में वादी की आराजीयात में बनी हो तों वादग्रस्त जमीन के पास विभाग की खुली जमीन पडी हुई है साथ ही विशेष उतर में कथन किया की प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा जनहित में छात्रों के छात्रावास में आने सीसी सडक का निर्माण तत्तकालीन अधिकारीयों ने सही सीमा जानकारी नहीं कर वादी की खातेदारी भुमि को विभाग की भुमि समझकर निर्माण किया हो तथा सडक के पास स्थित विभाग की जमीन को वादी की जमीन समझकर छोड दिया हो तों विभाग के परकोटे , भवन व सीसी सडक को यथावत रखकर सीसी सडक के एवज में वादी को विभाग की जमीन दिए जाने पर प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है अतः उचित आदेश फरमावे।

क्रमशः पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

संशोधित अनवान व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जवाब से 1 और तनकी कायम की गई जो निम्न है–

आया प्रतिवादी संख्या 4 के भवन में आने जाने का रास्ता वादी की भुमि से निकाला गया है जिसे हटाया जाने का वादी अधिकारी है विभागों के रास्ता नहीं हटाये जाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 4 की भुमि में से भुमि पाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्ल्यु 1– गौतमलाल दीक्षित पिता हिरालाल दीक्षित ने बयान में कहा कि मेरे कब्जेशुदा खातेदारी आराजीत ग्राम धम्बोला में खसरा नम्बर 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा होकर स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात मुझे मेरे कब्जेशुदा ग्राम सीमलवाडा की आराजी नम्बर 777 रकबा 0.05 बीघा भुमि को कन्या छात्रावास के निर्माण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये जाने पर उसकी एवज में आवंटित की गई थी उसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्ष 2011 में ग्राम धम्बोला की आराजी 5771/3636 में जबरन परकोटा निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जिसे न्यायालय के स्थगन आदेश से रूकवाया गया था तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या चार व पांच द्वारा मुख्य सडक से जनजाति छात्रावास में आने जाने हेतु सीसी सडक वादी की खातेदारी आराजी में निर्मित करने की जानकारी होने पर संशोधित अनवान पेश किया।

2 प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 5771/3636

3 प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस

4 प्रदर्श–3 पर्चा मौका दिनांक 8.1.2014

5 प्रदर्श–4 पर्चा मौका दिनांक 01.01.2014

6 प्रदर्श पी –5 नजरी नक्शा

7 प्रदर्श पी–6 ग्राम सीमलवाडा की जमाबंदी खसरा नम्बर 272

8 प्रदर्श पी–7 जमाबंदी ग्राम धम्बोला खाता संख्या 768

9 प्रदर्श पी–8 तहसीलदार सीमलवाडा की पैमुदगी रिपोर्ट दिनांक 11.05.2015

10 प्रदर्श पी–9 विनिमय आदेश की छायाप्रति

11 प्रदर्श पी–10 पटवारी व गिरदावर धम्बोला की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2015

प्रतिवादी ने अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्ल्यु–1 मोहनलाल पिता भाणजी यादव ने बयान कर बताया कि ग्राम सीमलवाडा की आराजी नम्बर 2298/484 श्री भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति शोध एवं विकास परिषद डूंगरपुर के नाम आवंटन किया गया था जिस पर तब से उक्त भुमि आवंटित भुमि पर डूंगरपुर का कब्जा बना हुआ है।

कमशः पेज 5 पर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की ग्राम धम्बोला की आराजी खसरा नम्बर 5771/3636 वादी को उसकी खातेदारी ग्राम सीमलवाडा की आराजी भुमी खसरा नम्बर 777 रकबा 0.05 बीघा भुमि कन्या छात्रावास सीमलवाडा के नाम देने पर विनिमय के रूप में प्राप्त हुई थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 जबरन अतिक्रमण कर रहा था व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने नियमविरूद्ध मेरी खातेदारी आराजी नम्बर 5771/3636 के बीचोबीच सडक बनाकर भुमि की उपयोगिता को खत्म कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने जवाब में भी विशेष कथन के रूप में अंकित किया है कि मुख्य सडक से जनजाति छात्रावास में आने जाने की सडक अगर वादी की खातेदारी आराजी में निर्मित की हो तों सडक को यथावत रख वादी को टीएडी विभाग के भुमि आराजी संख्या 3636 में परकोटे से बाहर पडी टीएडी विभाग की भुमि को वादी के नाम अंकित किया जाए। तथा वादी की भुमि टीएडी विभाग के नाम करने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा ऐसे में श्री मान आप न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट भी स्पष्ट है कि मुख्य सडक से जनजाति छात्रावास में जाने वाली सीसी सडक वादी की खातेदारी आराजी में बनी हुई है तथा उक्त सीसी सडक के उत्तर दिशा में टीएडी विभाग के परकोटे के बाहर खुली जमीन पडी हुई अतः वादी को एक चक मुख्य सडक से नियमानुसार भुमि छोकर 0.05 बीघा भुमि टीएडी विभाग की आराजी संख्या 3636 में छात्रावास के परकोटे के बाहर सीसी सडक के उत्तर दिशा तरफ खुली पडी जमीन वादी कि नाम दर्ज की जावे। वादी की 0.05 बीघा भुमि छात्रावास के नाम अंकित की जावे या वादी की जमीन से सीसी सडक को हटवाकर वादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे वहीं प्रतिवादी संख्या दो व तीन के वकील ने तर्क दिया की ग्राम सीमलवाडा की आराजी नम्बर 2298/484 श्री भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति शोध एवं विकास परिषद डूंगरपुर के नाम आवंटन किया गया था जिस पर तब से उक्त भुमि आवंटित भुमि पर डूंगरपुर का कब्जा बना हुआ है उसी अनुसार हम परकोटा बना रहे थे वहीं प्रतिवादी संख्या चार व पांच के वकील ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि मुख्य सडक से जनजाति छात्रावास में जाने वाली सीसी सडक को यथावत रख कर उक्त सीसी सडक की उत्तर दिशा में स्थित बालक जनजाति छात्रावास के नाम आवंटित भुमि खसरा नम्बर 3636 रकबा 6.10 बीघा में परकोटे से बाहर खुली पडी जमीन वादी को दी जाने पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन जितनी जमीन वादी को जनजाति छात्रावास के नाम से आवंटित भुमि में से दी जा रही है उतनी भुमि वादी के नाम से हटाकर छात्रावास के नाम अंकित की जाए।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी उस पर मनन किया वाद में विद्वान अभिभाषक की बहस से जाहीर होता है कि वाद में तनकी वार निर्णय नहीं कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हुं।

क्रमशः पेज 6 पर

Scanned by CamScanner

कि वादी का कथन है कि ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा वादी की खातेदारी भुमि है तथा उक्त भुमि वादी को उसकी खातेदारी ग्राम सीमलवाडा की आराजी संख्या 777 रकबा 0.05 बीघा भुमि कन्या छात्रावास सीमलवाडा के नाम करने पर विनिमय के तहत वादी के नाम आवंटित हुई थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने जबरन कब्जा कर परकोटा बनाने के लिए नींव तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने सीसी सडक निर्मित कर दी है। यहां दादरसी यह अपेक्षित है कि मौके से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावे ऐसे में प्रतिवादीगण 3 और 4 व 5 द्वारा किए गए अतिक्रमण को मौके से हटाया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जाने यहां प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा मौके से हटाने पर कोई अन्यथा स्थिति उत्पन्न नहीं होती है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा सीसी सडक निर्माण कर लिया गया अतिक्रमण हटाने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है कि मौके पर निर्मित जनजाति बालक छात्रावास के लिए मुख्य दरवाजे तक पहूंचने में सीसी सडक की सीधी एप्रोच पहूंच समाप्त हो जाती है।

अतः प्रकरण में न्यायोचित निस्तारण हेतु इस तथ्य को विश्लेषित किया गया कि जनजाति बालक छात्रावास को आवंटित भुमि छात्रावास निर्माण के अतिरिक्त शेष रही भुमि में से सीसी सडक की उत्तर दिशा में परकोटे के बाहर खुली जमीन वादी के नाम आवंटित कर पैमुद किये जाने पर किसी पक्ष को सारभुत हानि तो नहीं हो रही है तब यह निष्कर्ष पाया कि जनजाति छात्रावास के नाम रिकॉर्ड में इतनी भुमि शेष है कि वांछित भुमि वादी के नाम पैमुद करने पर प्रतिवादी 4, 5 को कोई आपत्ति नहीं है यहां इस तथ्य पर भी विश्लेषण किया कि बालक जानजाति छात्रावास सीमलवाडा के नाम आवंटित भुमि खसरा नम्बर तथा वादी के नाम आवंटित खसरा नम्बर का मुल एक ही नम्बर 3636 में से ही 0.05 बीघा आवंटित कर नया नम्बर 5771/3636 कायम हुआ था ऐसे में नक्शे में वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर 0.05 बीघा भुमि को नक्शे में बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के नाम पैमुद करने व बालक जनजाति छात्रावास के परकोटो के बाहर सीसी सडक के उत्तर दिशा में खुली पडी जमीन को नियमानुसार सडक से दुरी छोडकर वादी के नाम 0.05 बीघा भुमि पैमुद किया जावे तो ना प्रतिवादी 4 व 5 को कोई नुकसान होता है ना ही वादी को साथ ही बालक जनजाति छात्रावास आने जाने की सडक भी सुरक्षित तथा प्रतिवादी गण 3 के बीच कोई भी विवाद नहीं रहेगा। अतः वादी के नाम सीसी सडक के उत्तर दिशा में बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के परकोटे के बाहर स्थित आराजी 3636 की खुली पडी जमीन में से 0.05 बीघा भुमि वादी की आराजी संख्या 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा भुमि को बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा की आराजी संख्या 3636 में समाहित किया जाना उचित समझता हूं।

कमशः पेज 7 पर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण की दस्तावेजों व विवेचनों के आधार पर वाद वादी के पक्ष में डिकी किया जाता है कि वादी की ग्राम धम्बोला की खातेदारी आराजी संख्या 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा को बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के नाम आवंटित भुमि खसरा नम्बर 3636 में समाहित करने व बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के परकोटे के बाहर खुली पडी सीसी सडक के उत्तर दिशा में स्थित भुमि में से नियमानुसार मुख्य सडक से छोडकर 0.05 बीघा भुमि (66×66 वर्गफिट) वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर आदेशानुसार नक्शे में पैमुद किया जावे तथा वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड एवं पैमुद उक्त 0.05 बीघा भुमि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया हो तों उसे नियमानुसार हटाकर तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि कब्जा वादी को सुपुर्द करे तथा प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी को उक्त दर्ज रिकॉर्ड व पैमुद की गई भुमि के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न करे तथा वादी की खातेदारी आराजी 5771/3636 प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की आराजी संख्या 3636 में समाहित किए जाने के पश्चात उक्त भुमि में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कुननी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगे। नियमानुसार डिकी पर्चा कायम हो।

12.12.2018

मणीलाल तिरगर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

आदेश आज दिनांक 12.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.12.2018

मणीलाल तिरगर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ी, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अजा अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

श्री भगु बनाम श्री गौतम वगैरह

वाद बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 183, 188 209 राज.टी. एक्ट व

मुकदमा नम्बरः– 12/2011

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री मणीलाल तीरगर

व हाजरी :– बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व नरेश जोशी व गौतमलाल रोत

मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है किः–

वादी की ग्राम धम्बोला की खातेदारी आराजी संख्या 5771/3636 रकबा 0.05 बीघा को बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के नाम आवंटित भुमि खसरा नम्बर 3636 में समाहित करने व बालक जनजाति छात्रावास सीमलवाडा के परकोटे के बाहर खुली पडी सीसी सडक के उत्तर दिशा में स्थित भुमि में से नियमानुसार मुख्य सडक से छोडकर 0.05 बीघा भुमि (66×66 वर्गफिट) वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर आदेशानुसार नक्शे में पैमुद किया जावे तथा वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड एवं पैमुद उक्त 0.05 बीघा भुमि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया हो तों उसे नियमानुसार हटाकर तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि कब्जा वादी को सुपुर्द करे तथा प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी को उक्त दर्ज रिकॉर्ड व पैमुद की गई भुमि के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न करे तथा वादी की खातेदारी आराजी 5771/3636 प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की आराजी संख्या 3636 में समाहित किए जाने के पश्चात उक्त भुमि में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अतिकमण किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कुननी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 12.12.2018 को जारी की गई।

दस्तखत. . . . . [signature] 12.12.2018

ओहदा . . . . . उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा मु. धम्बोला

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
		मिजान	
मिजान			

Scanned by CamScanner